सूचना
प्ररूप संख्या आईएनसी–26

(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)

केंद्र सरकार के क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली एनसीटी के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(6) (ए) के मामले में

और

विशालाक्षी एंटरप्राइजेज लिमिटेड

(सीआईएन: U74999DL2017PLC314260)

जिसका पंजीकृत कार्यालय **बी–19/5, टी/एफ, गली नंबर–3, जोशी कॉलोनी, पटपड़गंज, करिश्मा अपार्टमेंट के सामने, दिल्ली, भारत, 110092** में है, के मामले में

....याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह आवेदक कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें 01st 2025–26 के माध्यम से कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए **29 सितंबर, 2025** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली–110003 ईमेल: rd.north@mca.gov.in** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

बी–19/5, टी/एफ, गली नंबर–3, जोशी कॉलोनी, पटपड़गंज, करिश्मा अपार्टमेंट के सामने, दिल्ली, भारत, 110092

मैसर्स विशालाक्षी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के लिए

स्थान : नई दिल्ली **आशुतोष गुप्ता** (निदेशक)
दिनांक : 28.10.2025 **डीआईएन : 07144185**

कंपनियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली एवं हरियाणा को

सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप–धारा (3) तथा सीमित दायित्व साझेदारी नियम, 2009 के नियम 17 के संबंध में

तथा

ऑक्सरैड कंसल्टेंट सीमित दायित्व साझेदारी (एल.एल.पी. आई.एन.: AAE-9311) के संबंध में, जिसका पंजीकृत कार्यालय इस पते पर स्थित है – कमरा संख्या A 1, J-1/38, भूतल, डी.एल.एफ. फेज–II, गुरुग्राम – 122002, हरियाणा

इस द्वारा सामान्य जन को सूचित किया जाता है कि उक्त सीमित दायित्व साझेदारी (एल.एल.पी.) द्वारा सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप–धारा (3) के अंतर्गत कंपनियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली एवं हरियाणा के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे इसके पंजीकृत कार्यालय में होने वाले परिवर्तन को अभिलेख में दर्ज किया जा सके, जो **"हरियाणा राज्य"** से **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** राज्य में स्थानांतरित किया जा रहा है।

जिस किसी व्यक्ति का हित इस प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो सकता है, वह अपनी आपत्तियाँ (यदि कोई हो) एक हलफनामे द्वारा समर्थित करते हुए, जिसमें उसकी रुचि की प्रकृति तथा विरोध के आधारों का विवरण हो, कंपनियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली एवं हरियाणा को प्रेषित कर सकता/सकती है, अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता/सकती है। ऐसी आपत्तियाँ इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस (21) दिनों के भीतर प्राप्त हो जानी चाहिए, और उसकी एक प्रति उपर्युक्त पते पर स्थित उक्त सीमित दायित्व साझेदारी (एल.एल.पी.) को भी भेजी जानी चाहिए।

ऑक्सरैड कंसल्टेंट एलएलपी की ओर से
हस्ता./–
सौम्या सक्सेना
नामित भागीदार
डी.आई.एन: 03076023

दिनांक: 28.10.2025
स्थान: गुरुग्राम, हरियाणा

फॉर्म नं. आईएनसी–26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
केन्द्रीय सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के खंड (ए) के संबंध में।
और
मेसर्स मिरेकल कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय जेए/5बी डीडीए फ्लैट्स, अशोक विहार, फेज–I, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110052में है, के मामले में
...याचिकाकर्ता

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 30/08/2025 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति MCA-21 पोर्टल (**www.mca.gov.in**) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पतेः बी–2 विंग, 2 रा तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजेः

जेए/5बी डीडीए फ्लैट्स, अशोक विहार, फेज–क नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110052

मिरेकल कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से और उसके लिए
उषा श्रीवास्तव
(निदेशक)

दिनांकः 27.10.2025
स्थानः नई दिल्ली **डीआईएनः** 03307919

ओरिएंट बेल लिमिटेड

CIN: L14101UP1977PLC021546

पंजी. कार्या. : 8, इंडस्ट्रियल एरिया, सिकंदराबाद – 203205, जिला बुलंदशहर, यू. पी.
कॉर्पो. कार्या.: आइरिस हाउस, 16, बिजनेस सेंटर, नांगल राया, नई दिल्ली – 110046
दूरभाष: +91-11-47119100, **ईमेल आईडी: investor@orientbell.com**
वेबसाइट: www.orientbell.com

शेयरधारकों के लिए सूचना

सेबी ने 1 अप्रैल, 2019 की समय सीमा से पहले जमा किए गए और दस्तावेजों में कमी के कारण अस्वीकृत/वापस किए गए भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः जमा करने की सुविधा के लिए एक विशेष विंडो खोलने की अनुमति दी है। [सेबी सर्कुलर संख्या **SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97** दिनांक 2 जुलाई, 2025]। पुनः जमा करने की यह विंडो छह महीने की अवधि, यानी 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक के लिए खुली रहेगी।

जिन निवेशकों के हस्तांतरण विलेख अप्रैल 2019 से पहले जमा किए गए थे और जिन्हें दस्तावेजों में कमी के कारण अस्वीकृत/वापस कर दिए गए थे, वे आगे की सहायता के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (यूनिटः ओरिएंट बेल लिमिटेड, 179-180, तीसरी मंजिल डीएसआईडीसी शेड्स, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020, टेलीफोन नं. +91-11-41406149, ईमेलः **admin@mcsregistrars.com**) या कंपनी से ईमेल आईडी **investor@orientbell.com** पर संपर्क कर सकते हैं।

हस्तांतरण के लिए पुनः जमा किए गए शेयर केवल डीमैट मोड में ही जारी किए जाएंगे।

ओरिएंट बेल लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
योगेश मेंदीरत्ता
(कंपनी सचिव एवं हेड लीगल)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 अक्टू.,2025

फॉर्म सं. आईएनसी–25ए

सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में परिवर्तित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के संबंध में
और
मेसर्स इंडकॉन प्रोजेक्ट्स एंड इक्विपमेंट लिमिटेड (CIN: U74899DL1986PLC023589), जिसका पंजीकृत कार्यालय बी–1/जी–1 मोहन को–ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली, दिल्ली–110044 में स्थित है,के संबंध में
..... आवेदक

एतदद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन करने के लिए इच्छुक है तथा ऐसे रूपान्तरण को प्रभावी करने के लिए कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए सोमवार, 15 सितंबर, 2025 को आयोजित वार्षिक आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी को एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपान्तरित करने के लिए इच्छुक है। कम्पनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वो उसके नीचे वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कम्पनी को इसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों की भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपतियों क्षेत्रीय निदेशक,उत्तरी क्षेत्र के पतेः बी–2 विंग, दूसरी मंजिल पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या भिजवाएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

पंजीकृत कार्यालय का पूरा पताः बी–1/जी–1 मोहन को–ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110044

इंडकॉन प्रोजेक्ट्स एंड इक्विपमेंट लिमिटेड
की ओर से और उसके लिए
प्रकाश नारायण मिश्रा
डीआईएनः 00477043
निदेशक

दिनांकः 28.10.2025
स्थानः नई दिल्ली

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का एक नवरत्न उपक्रम)
एनएसआईसी, एमडीबीपी बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नजदीक एनएसआईसी ओखला मेट्रो स्टेशन, नई दिल्ली–110020

ई–निविदा आमंत्रण सूचना (केवल ई–निविदा माध्यम से)

कॉनकॉर निम्नलिखित कार्य हेतु दो पैकेट निविदा प्रणाली में ई–निविदा आमंत्रित करता है:

निविदा संख्या	CON/AREA-1/TECH/ELECT/TKD/SITC/DG SET-TRANSFORMER-RMU/2025
कार्य का नाम	आईसीडी/तुगलकाबाद, नई दिल्ली – 110020 में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था के लिए सबस्टेशनों की स्थापना के उन्नयन/संशोधन के लिए विस्तार।
अनुमानित लागत	रू. 615.86 लाख/– (सभी कर सहित)
पूर्णता अवधि	09 महीने
धरोहर जमा राशि	रू. 4,57,930 (ई–भुगतान के माध्यम से)
निविदा दस्तावेज की कीमत	शून्य
निविदा प्रक्रिया शुल्क (अप्रतिदेय)	रू. 3540/– (सभी कर और शुल्क सहित ई–भुगतान के माध्यम से)
निविदा बिक्री की तिथि (ऑनलाइन)	29/10/2025 (15:00 बजे) से 19/11/2025 (17:00 बजे तक)
निविदा जमा करने की तिथि और समय	20/11/2025 को 17:00 बजे तक (ई–निविदा के माध्यम से)
निविदा खुलने की तिथि और समय	21/11/2025 (15:30 बजे)

विस्तृत पात्रता मानदंड, समान प्रकार के कार्य में अनुभव, आदि के लिए कृपया वेबसाइट **www.concorindia.com** पर उपलब्ध विस्तृत निविदा सूचना को देखें, लेकिन पूर्ण निविदा दस्तावेज केवल वेबसाइट **www.tenderwizard.com/CCIL** से डाउनलोड किये जा सकते हैं। इस निविदा के संबंध में आगे शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई होगा, तो उसे केवल वेबसाइट **www.concorindia.co.in**, **www.tenderwizard.com/CCIL** और सेंट्रल प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीपीपी) पर प्रकाशित किया जाएगा। समाचारपत्र में इसके लिए कोई प्रेस विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।

समूह महाप्रबंधक /तकनीकी/एरिया–I

प्रपत्र नं.

विनियम –33(2) देखें,
वसूली अधिकारी कार्यालय– I/ II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी–1)
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 53 के साथ ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25–29 के अंतर्गत सूचना।

टीआरसी/1383/2022 भारतीय स्टेट बैंक **25.09.2025**
बनाम
नंदिनी एवं अन्य.

सेवा मैं,
संबंधित अधिकारी:–
1. डीडीए/विकास प्राधिकरण (संबंधित क्षेत्र)
2. नगर निगम/जल बोर्ड (संबंधित क्षेत्र)
3. विद्युत विभाग (संबंधित क्षेत्र)
4. आयकर/बिक्री कर विभाग आदि (संबंधित क्षेत्र)

सीएच बैंक/सीएच वित्तीय संस्थान के बकाया की वसूली हेतु निम्नलिखित संपत्ति की नीलामी का प्रस्ताव है:–

संपत्ति की विशिष्टता

संपत्ति फ्लैट संख्या एल2–1605, टॉवर एल2, आम्रपाली गोल्फ होम्स, प्लॉट संख्या GH02, सेक्टर–4, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है।

2. आपको निर्देश दिया जाता है कि आप इस नोटिस के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर उक्त संपत्ति पर अपनी बकाया राशि, यदि कोई हो, का खुलासा करें, ऐसा न करने पर यह मान लिया जाएगा कि उक्त संपत्ति पर आपके विभाग की ओर कोई बकाया राशि नहीं है।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायाधिकरण की मुहर से, इस दिनांक को दिया गया **25.09.2025**

वसूली अधिकारी
ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1)

प्रपत्र सं.

[विनियम 33(2) देखें]
ऋण वसूली अधिकारी– I/ II का कार्यालय
ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी1)
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
ऋण की वसूली एवं दिवाला अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 53 के तहत बिक्री उद्घोषणा के स्थापन हेतु सूचना

टिआरसी/1383/2022 25.09.2025

भारतीय स्टेट बैंक
बनाम
नंदिनी एवं अन्य.

To,

(सीडी1) श्रीमती नंदिनी, पत्नी प्रिया रंजन, एसआरबी–6बी, शिप्रा रिवेरा, ज्ञान खंड–**III**, इंदिरापुरम, गाजियाबाद (यूपी)–201014 **इसके अलावा:** पद: सहायक पर्यवेक्षक, कर्मचारी संख्या 5204, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड, केंद्रीय रसोई, ए–60, सेक्टर–64, नोएडा (यूपी)–201010 **इसके अलावा:** पद: सहायक पर्यवेक्षक, कर्मचारी संख्या 5204, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, 9वीं मंजिल, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, 16, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110001 **इसके अलावा:** गांव लाल पोखर, रेलवे गुमटी के पास नं. 51, पीओ–दिघी कला, हाजीपुर, वैशाली, बिहार–844101

(सीडी2) श्री प्रिया रंजन पुत्र श्री. ब्रह्मा सिंह, एसआरबी–6बी, शिप्रा रिवेरा, ज्ञान खंड–**III** इंदिरापुरम, गाजियाबाद (यूपी)–201014 **इसके अलावा:** पदनाम: एफ एंड बी कार्यकारी, ईएमपी कोड: 147, पार्क एसेट, प्लॉट संख्या 126, नोएडा–खोदा रोड, आईआईएम लखनऊ (नोएडा परिसर) के सामने, सेक्टर–62, नोएडा (उत्तर प्रदेश)–201309। अन्य पते: आईएचएमसीटी एंड एएन, भुवनेश्वर (उड़ीसा)–751007

(सीडी3) मेसर्स आम्रपाली स्मार्ट सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक, 307, तीसरी मंजिल, निपुण टावर, सामुदायिक केंद्र, कड़कड़डूमा, दिल्ली–110092

जबकि आपको, **नंदिनी एवं अन्य** को, ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1) के पीठासीन अधिकारी, जिन्होंने दिनांक **11.11.2022** को वसूली प्रमाणपत्र जारी किया था, द्वारा आवेदक बैंक/वित्तीय संस्थान (आवेदक का नाम) को **2151824.42** रुपये (इक्कीस लाख इक्यावन हजार आठ सौ चौबीस पैसे बयालीस मात्र) की राशि, बकाया राशि और वसूली तक अंतिम भुगतान की तिथि से **9.60%** की दर से भविष्य के ब्याज और **24,000.00** रुपये की लागत सहित भुगतान करने का आदेश दिया गया था, और जबकि उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया है, अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लिखित अचल/अचल संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

2. आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री की घोषणा तैयार करने और उसकी शर्तों को तय करने के लिए **25.11.2025** को प्रातः **10.30** बजे का समय निर्धारित किया गया है। आपसे अनुरोध है कि उक्त संपत्तियों या उसके किसी भाग से जुड़े किसी भी भार, शुल्क, दावे या देनदारियों से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएँ।

सम्पत्ति के विनिर्देश

संपत्ति फ्लैट संख्या एल2–1605, टॉवर एल2, आम्रपाली गोल्फ होम्स, प्लॉट संख्या GH02, सेक्टर–4, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायाधिकरण की मुहर से, इस दिनांक को दिया गया **25.09.2025**

वसूली अधिकारी
ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1)

प्रपत्र सं. 5
ऋण वसूली न्यायाधिकरण

600/1, यूनिवर्सिटी रोड, हनुमान सेतु मंदिर के निकट, लखनऊ–226007
(न्यायाधिकार क्षेत्र : उत्तर प्रदेश का भाग)

उत्तर दाखिल करने तथा उपस्थित होने के लिए
प्रकाशन द्वारा सम्मन

ओए सं. 653/2025 **दिनांक : 01–10–2025**

बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया और नियमावली, 1993) के नियम 12 और 13 के अंतर्गत प्रतिवादी को सम्मन

मेसर्स इंडियन बैंक बनाम श्री राजेश पुत्र रणवीर सिंह

सेवा में,
प्रतिवादीगण :–

1. श्री राजेश पुत्र रणवीर सिंह, निवासी क्वार्टर नंबर 24, रीडिंग लाइन, प्रेसिडेंट एस्टेट, तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली–110001 **(कर्जदार और गारंटर)**
पैन संख्या AYDPR3366D
मोबाइल नंबर 9873747557

अन्य पता
फ्लैट नंबर ए–46, एसएफ–1, एचआईजी, दूसरा तल, गंगा विहार, गांव– सादुल्लाबाद, लोनी, गाजियाबाद, यूपी–201002

अन्य पता
मकान नंबर 102, रूद्रा अपार्टमेंट, महावीर एन्क्लेव, केएफसी वाली गली, राज मंदिर के सामने, निकट दशरथ मेट्रो स्टेशन, दिल्ली–110045

उपरोक्त आवेदन में आप से यह मांग की जाती है कि यह सम्मन प्रकाशित होने के बाद आप अपना उत्तर पेपर बुक रूप में, दो सेट्स में, दस्तावेजों तथा शपथपत्रों (यदि कोई है) सहित, उसकी प्रति आवेदक को अथवा उसके कानूनी सलाहकार/विधिवत अधिकृत एजेन्ट को भेजने के बाद, व्यक्तिगत रूप से या अपने विधिवत अधिकृत एजेन्ट या लीगल प्रैक्टिशनर के माध्यम से प्रस्तुत करने के बाद इस न्यायाधिकरण में 24–12–2025 को पूर्वा. **10.30 बजे** उपस्थित हों, जिसमें असफल रहने पर आवेदन की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

रजिस्ट्रार
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ

केन फिन होम्स लिमिटेड

सी–18, परम प्लाजा, आर.डी.सी., गाजियाबाद, 201001,
संपर्कः 0120–4086097, 7625079135
ई–मेल ghaziabad@canfinhomes.com, CIN: L85110KA1987PLC008699

नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने केन फिन होम्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के साथ के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित 04.08.2025 को जारी की थी जिसमें ऋणीः श्रीमती वंदना गर्ग पत्नी स्वर्गीय जय भगवान गर्ग, (गारंटर) श्री अंशुल शर्मा पुत्र अशोक कुमार शर्मा और उत्तम गर्ग पुत्र स्वर्गीय जय भगवान गर्ग और स्वर्गीय जय भगवान गर्ग के कानूनी उत्तराधिकारी से सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि 7,44,541/– (रूपये सात लाख चौबालिस हजार पांच सौ इकतालिस मात्र) उस पर ब्याज, व्यय तथा अन्य प्रभारों के साथ, उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर, चुकाने की मांग की गई थी।

ऋणी उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार/रों, और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा दिनांक 25 अक्टूबर 2025 को प्राप्त कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/रों, को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार केन फिन होम्स लिमिटेड, राशि 7,44,541/– (रूपये सात लाख चौबालिस हजार पांच सौ इकतालिस मात्र) व उस पर आगे ब्याज, खर्चों तथा अन्य प्रभारों के प्रभाराधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

प्लॉट नं. सी–13ए, ब्लॉक–सी, खसरा नं. 1504, इंद्र एन्क्लेव, गांव रईसपुर, परगना डासना, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, संपत्ति की चौहद्दीः उत्तरः रोड़ 35 फीट चौड़ी, दक्षिणः प्लॉट नं. सी–14, पूर्वः प्लॉट नं. सी–13, पश्चिमः प्लॉट नं. सी–22.

दिनांकः 28.10.2025 स्थानः गाजियाबाद। हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, केन फिन होम्स लिमिटेड

ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण–
दिल्ली अपार्टमेंट संख्या 318, तृतीय तल, होटल सम्राट, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली–110021

अपील संख्या 229/2024
एस.ए. संख्या 343/2021
(डीआरटी– II, दिल्ली)

भारतीय स्टेट बैंक **..आवेदक**
बनाम
श्री अमित कुमार एवं अन्य **..प्रतिवादी**

सूचना

1.	**श्री अमित कुमार पुत्र श्री राज पाल सिंह** निवासी सी–3, तक्षशिला अपार्टमेंट, प्लॉट संख्या 57, आई.पी. एक्सटेंशन, बाल्को मार्केट के पास, दिल्ली–110092 **इसके अलावा :– श्री अमित कुमार पुत्र श्री राज पाल सिंह, निवासी** बी–25ए, गली नंबर 1, मयूर पब्लिक स्कूल के पीछे, मंडावली, फजलपुर, दिल्ली–110092 **इसके अलावा :– श्री अमित कुमार पुत्र श्री राज पाल सिंह, निवासी लाइटिंग साइंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,** ए–28, सेक्टर–83, फेज–II, नोएडा–201304।	प्रतिवादी संख्या 1
2.	**श्रीमती राजेन्द्री देवी, पत्नी श्री राज पाल सिंह** निवासी बी–25ए, गली नंबर 1, मयूर पब्लिक स्कूल के पीछे, मंडावली, फजलपुर, दिल्ली–110092।	प्रतिवादी संख्या 2
3.	**मैसर्स आइडिया बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड** खसरा संख्या 998, केडीपी सर्कल के पास, राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश **इसके अलावा: मैसर्स आइडिया बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड**, सी–294, प्रथम तल, विवेक विहार, दिल्ली–110095 **इसके अलावा:** मैसर्स आइडिया बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, सी–10, रामप्रस्थ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।	प्रतिवादी संख्या 3

जबकि यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त मामले में डी.आर.टी. के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील अपीलकर्ता द्वारा **09.08.2024** को प्रस्तुत की गई है और न्यायाधिकरण में पंजीकृत है। मामला इस न्यायाधिकरण के समक्ष **09.10.2025** को सूचीबद्ध किया गया था।

चूंकि न्यायाधिकरण को यह संतुष्टि हो गई है कि आपको सामान्य तरीके से तामील कराना संभव नहीं है, इसलिए, यह सूचना विज्ञापन द्वारा दी जाती है जिसमें आपको **10.12.2025** को इस न्यायाधिकरण में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

चूंकि कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त तिथि पर आपके उपस्थित न होने पर, मामले की सुनवाई और निर्धारण आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायाधिकरण की मुहर से, आज 16 अक्टूबर, 2025 को दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेश से
अनुभाग अधिकारी

SUMMONS FOR SETTLEMENT OF ISSUES (O.5, rr. 1, 5) BEFORE THE COMMERCIAL COURT AT KASNA, COURT N-2, ORIGINAL SUIT NO 1118/2019

STATE BANK OF INDIA, a body corporate constituted under the State Bank of India Act - 1955 having one of its offices at RACPC (SARC) at New Arya Nagar, Ghaziabad, Distt-Ghaziabad, through Ms. Roopam Raghuvanshi Manager(SARC), Mob-8447860286, E-Mail I.D. sbi.10049@sbi.co.in, Aadhar No.792384436674.

.........PLAINTIFF

VERSUS

1. **MR. HARISH TYAGI S/O SH. ANAND PRAKASH** TYAGI R/O 735, VIKAS SHAKUNTALAM, CIRCULAR ROAD, MUZAFFAR NAGAR,TEHSIEL & DISTT-MUZAFFAR NAGAR
2. **MR. ASHISH TYAGI S/O SH. HARISH TYAGI** R/O 735, VIKAS SHAKUNTALAM, CIRCULAR ROAD, MUZAFFAR NAGAR, TEHSIEL & DISTT- MUZAFFAR NAGAR
3. **M/S PROVIEW INFRASTRUCTURE PVT. LTD.** THROUGH ITS DIRECTOR HAVING ITS OFFICE AT GROUND FLOOR R BLOCK NITYA HOMES, RAJ NAGAR EXTENSION, GHAZIABAD.
4. **M/S RKS BUILDCON INDIA PVT. LTD.,** THROUGH ITS DIRECTOR, OFFICE AT 220, VILLAGE-BURARI, DELHI-84.
5. **M/S LOTUS ENTERPRISES (PARTNERSHIP FIRM),** THROUGH ITS PARTNERS, HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT KI-3, KAVI NAGAR, GHAZIABAD

.........DEFENDANTS

Whereas State Bank of India instituted a suit against you for recovery of money. you are hereby summoned to appear in this Court in person, or by a pleader duly instructed, and able to answer all material questions relating to the suit, or who shall be accompanied by some person able to Court, to answer all such questions, on the **30.10.2025, at 10 O'Clock** in the Court, to answer the claim; and further you are hereby directed to file on that day a written statement of your defense and to produce on the said day all documents in your possession or power upon which you base your defense or claim for set-off or counter-claim, and where you rely on any other document whether in you possession or power or not, as evidence in support of your defense or claim for set-off or counter-claim, you shall enter such documents in a list to be annexed to the written statement].

Take notice that, in default fo your appearance on the day before mentioned, the suit will be heard and determined in your absence.

Given under may hand and the seal of the Court, this day of.............. 2025.

Sd/-
S.Kumar
MUNSIRIM/ READER

Bharat Rasayan Limited

CIN : L24119DL1989PLC036264
Regd. Office: 1501, Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi - 110 008
Email: investors.brl@bharatgroup.co.in **Website:** www.bharatgroup.co.in

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting **("EGM")** of the Members of Bharat Rasayan Limited **('the Company')**, will be held on Wednesday, November 19, 2025, at 11:00 A.M. at Hotel Golden Grand, W-1/10, West Patel Nagar, New Delhi-110008, to transact the businesses as set out in the Notice of the said meeting, as summarised hereunder:

Item No. 1 : Sub-Division / Split of face value of Equity Shares of the Company from ₹10/- (Rupees Ten Only) each to ₹5/- (Rupees Five Only) each

Item No. 2 : Issue of Bonus Equity Shares to the shareholders of the Company

In compliance with the MCA and SEBI circular(s), the Company has sent the Notice of EGM on October 28, 2025, through electronic mode only, to the members whose email IDs are registered with the Depositories/ MUFG Intime India Private Limited **(Registrar & Transfer Agent of the Company)**. Notice is also available on the Company's website at www.bharatgroup.co.in and the website of the Stock Exchange at www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (agency for providing the Remote e-Voting facility), i.e. www.evoting.nsdl.com.

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, as amended, read with Section 108 of the Companies Act, 2013 and the relevant rules, the Company has availed the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to facilitate eligible members to exercise their right to vote by remote e-voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than venue of EGM and physical polling at EGM, in respect of all the items to be transacted at EGM. The detailed process of remote e-voting and physical polling at EGM is available in the Notice of the meeting. Any person, whose name appears in the Register of Members/ Beneficial Owners maintained by the Depositories on the Cut-off Date i.e. November 12, 2025, shall be entitled to vote through remote e-voting or physical polling at EGM.

Date and time of commencement of remote e-voting	Sunday, November 16, 2025, at 09:30 A.M. (IST)
Date and time of end of remote e-voting	Tuesday, November 18, 2025, at 05:00 P.M. (IST)

The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The results of voting would be declared within the stipulated time as mentioned under the relevant laws and will also be posted on the Company's Website.

Members may note that:

a. The manner of remote e-voting and physical polling at the EGM by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the EGM.

b. The facility of physical voting via poll would also be made available during the EGM to those members present at the EGM, who have not casted their vote on the resolution through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so.

c. The members who have casted their vote by remote e-voting prior to the EGM may attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again.

d. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of Notice and holds shares as on cut-off date i.e. Wednesday, November 12, 2025, may obtain the User-ID and Password by sending a request to evoting@nsdl.com. However, if the member is already registered with NSDL for remote e-voting, then existing User-ID and Password can be used for casting the vote.

Members are requested to refer to the instructions for remote e-voting as mentioned in the EGM Notice. In case of any queries/grievances regarding attending of EGM & e-Voting, kindly refer the Frequently Asked Questions **(FAQs)** for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free nos.: 18001020990 & 1800224430 or call at 022-48867000 or send a request to NSDL at evoting@nsdl.com.

For other queries/grievance, members may contact Shri Swapan K Naskar, Associate V.P. & Head North-India of MUFG Intime India Private Limited at Tel: 091-11-49411000, Email ID: swapann@in.mpms.mufg.com.

Shri Anil Anand (Membership No. FCS:12153) of M/s. A.Anand & Co., Company Secretaries, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process and physical voting during EGM in a fair and transparent manner.

Members who have not registered their email-ids / bank details so far, or want to update their email-ids / bank details, are requested to register/change the same with their Depository Participant (in case holding shares in dematerialized mode) and with RTA of the Company (in case holding shares in physical mode), so as to receive all communication electronically, and to avail electronic credit facility i.e. direct credit of dividend amount(s) in the bank account.

For BHARAT RASAYAN LIMITED
Sd/-
(NIKITA CHADHA)
Company Secretary & Compliance Officer

New Delhi
October 28, 2025

प्रपत्र नं. 14

विनियम –33(2) देखें,
वसूली अधिकारी कार्यालय– I/ II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी–1)
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

डिमांड नोटिस

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस।

टीआरसी/45/2024 **05/07/2025**

भारतीय स्टेट बैंक
बनाम
रजित शर्मा एवं अन्य

सेवा में,

(सीडी 1) रजित शर्मा पुत्र विनोद शर्मा एच. नं. बी 105, मालवीय नगर, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली

इसके अलावा: 77, पस्तरा, पस्तरा सिवाल, खास, मेरठ यू.पी. 250501

इसके अलावा: ड्रिपलेक्स वॉटर इंजीनियरिंग लिमिटेड, ड्रिपलेक्स हाउस पंचसफ कम्युनिटी सेंटर, नई दिल्ली– 110017

इसके अलावा: मेसर्स अरविंद एनविसोल प्राइवेट लिमिटेड, नरोदा रोड, चामुंडा ब्रिज के पास, अहमदाबाद – 380025

(सीडी 2) मेसर्स नित्या रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड, 220, वेटरनरी हॉस्पिटल के सामने, बुराड़ी, दिल्ली– 110084

(सीडी 3) मेसर्स आर.के.एस. बिल्डकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 220 ग्राम बुराड़ी दिल्ली – 110084

यह अधिसूचित किया जाता है कि **पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी 1) द्वारा** में पारित आदेशों के अनुसरण में जारी किए गए वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार, **रुपये 34,82,131.00** की राशि, लम्बित और दिनांक **03/06/2021** से वसूली तक **9%** वार्षिक साधारण ब्याज की दर से भावी ब्याज तथा **रुपये 37,000.00** की लागत आपके विरुद्ध (संयुक्त रूप से और अलग–अलग/पूर्णतः/सीमित रूप से) देय हो गई है।

2. इस नोटिस के माध्यम से आपको प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अनुसार वसूली की जाएगी।

3. आपको सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले एक हलफनामे पर अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है।

4. आपको आदेश दिया जाता है कि दिनांक **26/11/2025 को प्रातः 10:30 बजे** अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आगे की कार्यवाही हेतु उपस्थित हों।

5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:

(क) इस तरह के ब्याज के रूप में प्रमाण पत्र / निष्पादन कार्यवाही की इस सूचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय है।

(ख) इस नोटिस और वारंट और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी प्रक्रियाओं की तामील के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत दिनांक 05/07/2025 को दिया गया।

वसूली अधिकारी,
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी–1)

KARVY FINANCE

कॉर्पोरेट कार्यालयः मैसर्स. कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, 301, तीसरी मंजिल, गुजराल हाउस, 167 सीएसटी रोड, कोलिवेरी एरिया विलेज, कलिना, सांताक्रूज (ई), मुंबई – 400098. ईमेलः– anil.dubey@karvy.com; संपर्क नंबरः 9891872258

नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत नीलामी के माध्यम से बिक्री नोटिस सह सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के तहत उधारकर्ताओं/गारंटर, नियम 8(6) को बिक्री के लिए सूचना ।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/बंधककर्ताओं की सुरक्षित आस्तियों के कब्जे के अनुसरण में, जनता और सभी संबंधितों को, जिसमें संबंधित उधारकर्ता/बंधककर्ता, उनके कानूनी उत्तराधिकारी/प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, शामिल हैं, को सूचित किया जाता है कि नीचे सूचीबद्ध संपत्तियों की खरीद के लिए कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

जबकि कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे वर्णित संपत्ति को उक्त अधिनियम के नियम 8 और 9 के अंतर्गत सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से "जहां है जैसी है" और "जो है जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचने का निर्णय लिया है।

उधारकर्ता का नाम	नीलामी की तिथि	मांग सूचना की तिथि और राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (आरपी)	बयाना राशि जमा (ईएमडी) (आरपी का 10प्रतिशत%)	कुल बकाया ऋण
1. ऋण कोड संख्या 512894 उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता 1. गीता देवी 2. राज कैम 3. ललितेश कैम 4. निशा कैम 5. साहिल कैम	1 दिसंबर 2025	17 अगस्त 2023 और रु. 4553520/–	संपत्ति धारक प्लॉट संख्या 46/755, माप क्षेत्रफल 70.24 वर्ग मीटर. राम नगर जगदीश पुरा, आगरा में स्थित है	रु. 1795500/– (सत्रह लाख पंचानबे हजार पांच सौ रुपये) केवल)	रु. 179550/– (एक लाख उनासी हजार पांच सौ पचास रूपये मात्र) एवं 28 नवंबर 2025	रु. 6490596/– (रुपये एक करोड़ तैंतालीस लाख अड़सठ लाख सात सौ तीन मात्र) 22/10/2025 तक (रुपये चौसठ लाख नब्बे हजार पाच सौ छियानबे मात्र)
2. ऋण कोड संख्या 512810 उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता 1. सचिन गुप्ता 2. मंजू गुप्ता 3. रमेश चंद्र गुप्ता 4. राहुल गुप्ता	14 नवंबर 2025	30 अप्रैल 2021 और रु 26,26,703/–	संपत्ति धारक प्लॉट नंबर 7, नगर निगम नंबर–31ए/170ए/1, खसरा नंबर 420, माप क्षेत्र 50.16 वर्ग मीटर, जंगजीत नगर, फेजा 2 शमसाबाद रोड, आगरा में स्थित है	रु. 1134000/– (ग्यारह लाख चौंतीस हजार रूपये मात्र)	रु. 113400/– (एक लाख तेरह हजार चार सौ रूपये मात्र) और 13 नवंबर 2025	रु. 4718125/– (पैंतालीस लाख अठारह हजार एक सौ रुपये) केवल पच्चीस) 27 मार्च 2025 तक

महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें:

1. इच्छुक बोलीदाताओं को नीलामी के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा और व्यक्तिगत रूप से भाग लेना होगा और लिखित रूप में इस आशय की घोषणा करनी होगी कि वह अपने लिए बोली लगा रहा है।
2. इच्छुक बोलीदाता प्रबंधक से मैसर्स कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, 1/15, तीसरी मंजिल, कार्यालय नंबर 3, पंजाब नेशनल बैंक के पास, तिलक नगर नई दिल्ली 110018 से निविदा फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
3. निविदाकर्ताआ/प्रस्तावकर्ताआ/संभावित बोलीदाताओं/खरीदारों को अपना प्रस्ताव कॉलम (ई) में उल्लिखित बयाना राशि जमा (ईएमडी) के साथ मेसर्स कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में चेन्नई शाखा में देय डिमांड ड्राफ्ट या भुगतान आदेश के माध्यम से सीलबंद लिफाफे में **"अचल संपत्तियों/संपत्ति की खरीद के लिए प्रस्ताव" का उल्लेख करते हुए जमा करना चाहिए ताकि वे हमारे अधिकृत अधिकारी/व्यक्ति अनिल दुबे मोबाइलः 9891872258 पर पहुंच सकें या बोलियों की अंतिम तिथि अपराह्न 3.00 बजे से पहले सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान की गई ईएमडी की राशि को बिक्री मूल्य में समायोजित किया जाएगा।**
4. दस्तावेज सत्यापन के लिए, इच्छुक खरीदार यहां मैसर्स कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, 1/15, तीसरी मंजिल, कार्यालय नंबर 3, पंजाब नेशनल बैंक के पास, तिलक नगर नई दिल्ली 110018 जा सकता है:
5. संपत्ति/संपत्ति 'जैसी है–**जहां है' और 'जैसी है–जो है' और 'जो भी है'** के आधार पर बेची जाती है।
6. मुहरबंद निविदाएं इसके द्वारा अधिसूचित निविदा–सह–नीलामी बिक्री की नीलामी की तारीख पर इच्छुक बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएंगी। हालांकि आम तौर पर यह बंद निविदाओं के माध्यम से होगा, प्राधिकृत अधिकारी अपने विवेक पर, उन इच्छुक बोलीदाताओं के बीच एक खुली नीलामी आयोजित कर सकता है जो बंद निविदा प्रक्रिया में प्राप्त बोली से अधिक बोली लगाने की इच्छा रखते हैं, और ऐसी घटना में, बिक्री उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को प्रदान की जाएगी। हालाँकि, बिक्री मेसर्स कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की पुष्टि के अधीन है।
7. सफल बोलीदाता को बिक्री राशि का पच्चीस प्रतिशत (25प्रतिशत) (भुगतान की गई ईएमडी सहित) तुरंत उसी दिन या बिक्री पूरी होने पर अगले कार्य दिवस के भीतर और शेष राशि का भुगतान/जमा करना होगा। बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर पचहत्तर प्रतिशत (75 प्रतिशत), अन्यथा 25 प्रतिशत की प्रारंभिक जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। इसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं किया जाएगा। बिक्री की नई उद्घोषणा जारी होने के बाद संपत्ति को तुरंत दोबारा पेश किया जाएगा और दोबारा बेचा जाएगा।
8. यहां निर्धारित समय सीमा के भीतर संपूर्ण बिक्री विचार प्राप्त होने के बाद ही सफल खरीदार के पक्ष में अधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
9. सफल क्रेता को वाहन के लिए देय शुल्क/शुल्क, जैसे स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि, जैसा कि कानून के तहत लागू है, वहन करना होगा।
10. सफल बोलीदाता को सरकार, सरकारी उपक्रम और स्थानीय निकायों को देय वैधानिक बकाया (वैध गृह कर, बिजली शुल्क और अन्य बकाया), टीडीएस, जीएसटी, यदि कोई हो, का भुगतान करना होगा।
11. प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने और नीलामी को बिना कोई कारण बताए स्थगित / स्थगित /रद्द करने और बिक्री के किसी भी नियम और शर्तों को बिना कोई कारण बताए संशोधित करने का पूर्ण अधिकार है। बिना किसी पूर्व सूचना के बिक्री के किसी भी नियम और शर्तों को संशोधित करना।

स्थान : आगरा
दिनांकः 27 अक्टुबर .2025

हस्ता/–
प्राधिकृत कार्यालय
कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड